रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042025-262338
CG-DL-E-09042025-262338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2025/चैत्र 17, 1947
No. 182]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2025/CHAITRA 17, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2025

सं. 30/2025

सा.का.नि. 221(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 158खग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 2024 की तारीख को प्रवृत्त करना माना जाएगा।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12कघ के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"धारा 158खग के अधीन आयकर विवरणी.- (1) धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी, धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई किसी भी तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा से संबंधित 1 सितंबर, 2024 को या उसके पश्चात् प्ररूप आईटीआर-ख में होगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय की विवरणी नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत की जाएगी।

सारणी

क्रम सं.	व्यक्ति	आय की विवरणी प्रस्तुत करने का ढंग
(1)	(2)	(3)
1.	(a) वह व्यक्ति जिसके खातों का अधिनियम की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षण किया जाना आवश्यक है; (b) कंपनी; (c) राजनीतिक दल।	इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन।
2.	उपरोक्त क्रम संख्या (1) के स्तंभ (2) में उल्लिखित व्यक्ति के भिन्न कोई अन्य व्यक्ति।	(क) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से; (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करना।

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो नियम 12कग के उपनियम (2) के स्पष्टीकरण में उसका है ।

(3) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) आंकड़ों के सुरक्षित अभिग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेंगे और सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(4) ऐसे मामले में जहां कर संदाय के क्रेडिट का दावा ब्लॉक अवधि के लिए स्व-निर्धारण कर से भिन्न ब्लॉक अवधि की अघोषित आय के विरुद्ध किया जाता है, ऐसे क्रेडिट का दावा और उसकी अनुज्ञेयता, निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन और उसकी संतुष्टि के अधीन होगी।

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट-2 के प्ररूप आईटीआर-प के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप आईटीआर-ख अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

प्रपत्र	आईटीआर-ख	ब्लॉक अवधि (क19-क20 पर आधारित प्रणाली द्वारा व्युत्पन्न)	**भारतीय आयकर विवरणी ब्लॉक निर्धारण के लिए** **[तलाशी और जब्ती मामलों के लिए (अध्याय 14-ख)]** ***आयकर नियम, 1962 की धारा 158खग(1)(क) नियम 12कङ देखें)*** ***(पात्रता हेतु निर्देश देखें)***

भाग क-सामान्य जानकारी						
(क1) पैन		(क2) प्रथम नाम (क2क) मध्य नाम (क3) अंतिम नाम	(क4) जन्म तारीख/ निगमन डी डी एम एम य य य य		(क5) आधार संख्या (*12 अंक*) (यदि लागू हो और आधार संख्या के लिए पात्र हो)	
(क6) मोबाइल नं.		(क7) ईमेल पता				
पता : (क8) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक नंबर (क9) परिसर/भवन/गांव का नाम (क10) सड़क/गली/डाकघर क्षेत्र/ इलाका (क11) कस्बा/शहर/जिला (क12) राज्य (क13) देश (क14) पिन कोड			(ए15) रोजगार की प्रकृति- · केन्द्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार · पब्लिक सेक्टर उपक्रम ☐ पेंशनभोगी-सीजी ☐ पेंशनभोगी-एसजी ☐ पेंशनभोगी-पीएसप ☐ पेंशनभोगी- अन्य ☐ अन्य · लागू नहीं (जैसे पारिवारिक पेंशन आदि)			
(क16) प्रास्थिति		(क17) भारत में आवासीय स्थिति	· निवासी · निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं · अनिवासी	(क18) कंपनी के मामले में (किसी एक पर निशान लगाएं)☑	(i) घरेलू कंपनी · (ii) विदेशी कंपनी ·	

(क19) धारा 132 के अधीन प्रथम तलाशी प्राधिकार दिया गया धारा 132क के अधीन निष्पादित/अधिग्रहण किया गया	*(दिन/माह/वर्ष)*		(क20) वह तारीख जिसको धारा 132 के अधीन अंतिम तलाशी प्राधिकार निष्पादित किया गया/धारा 132क के अधीन अंतिम अध्यपेक्षा की गई	*(दिन/माह/वर्ष)*	
(क21) ब्लॉक अवधि	से *(दिन/माह/वर्ष)*	को *(दिन/माह/वर्ष)*	(क22) धारा के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में फाइल विवरणी	☐158खग	☐धारा 158खघ के अनुसरण में 158खग
(क23) धारा 153खग के अधीन विशिष्ट संख्या/दस्तावेज़ पहचान संख्या (डिन) और नोटिस की तारीख अभिलिखित करें					*(दिन/माह/वर्ष)*
(क24) धारा 158खग के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में आयकर विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख				*(दिन/माह/वर्ष)*	
(क25) ब्लॉक अवधि के अधीन आने वाले कर निर्धारण वर्षों के लिए पहले फाइल विवरणी का विवरण *(टिप्पण 1 देखें)*					
(क26) कर निर्धारण वर्ष वाई6 (ब्लॉक अवधि सहित सबसे प्रारंभिक कर निर्धारण वर्ष)	(i) अंतिम विवरणी फाइल करने की तारीख अभिलिखित करें			*(दिन/माह/वर्ष)*	
	(ii) वह धारा जिसके अधीन मामला दायर किया गया है			☐139(1) ☐139(4) ☐139(5) ☐139(8क) तलाशी या अधिग्रहण आरंभ करने की तारीख से पहले दायर किया गया 153ग ☐142(1) के साथ पठित ☐148 ☐153क☐ 153क. (ड्रॉप डाउन)	
	(iii) पावती या रसीद संख्या अभिलिखित करें।				
	(iv) तलाशी या अधिग्रहण आरंभ करने की तारीख तक विचाराधीन वर्ष के लिए लंबित कोई निर्धारण/पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना			☐ हां (कृपया ड्रॉप-डाउन से अनुभाग 153ग, 153खग, 245घ के साथ पठित 143(3), 148, 153क, 153क का चयन करें) ☐ नहीं	
(क27) कर निर्धारण वर्ष वाई5	(i) अंतिम विवरणी फाइल करने की तारीख अभिलिखित करें			*(दिन/माह/वर्ष)*	
	(ii) वह धारा जिसके अधीन मामला दायर किया गया है			☐139(1) ☐139(4) ☐139(5) ☐139(8क) तलाशी या अधिग्रहण आरंभ करने की तारीख से पहले दायर किया गया 153ग ☐142(1) के साथ पठित☐148 ☐153क☐ 153क . (ड्रॉप डाउन)	
	(iii) पावती या रसीद संख्या अभिलिखित करें।				
	(iv) तलाशी या अधिग्रहण की शुरुआत की तारीख तक विचाराधीन वर्ष के लिए लंबित कोई भी निर्धारण/पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना			☐ हां (कृपया ड्रॉप-डाउन से अनुभाग 143(3), 148, 153क, 153क के साथ पठित . 153ग, 153खग, 245घ का चयन करें) ☐ नहीं	
(क28) कर निर्धारण वर्ष वाई4	(i) अंतिम विवरणी फाइल करने की तारीख अभिलिखित करें			*(दिन/माह/वर्ष)*	
	(ii) वह धारा जिसके अधीन मामला दायर किया गया है			☐139(1) ☐139(4) ☐139(5) ☐139(8क) तलाशी या अधिग्रहण आरंभ करने की तारीख से पहले दायर किया गया ☐148 ☐153क☐ 153क के साथ पठित . 153ग ☐142(1) (ड्रॉप डाउन)	
	(iii) पावती या रसीद संख्या अभिलिखित करें।				
	(iv) तलाशी या अधिग्रहण आरंभ करने की तारीख तक विचाराधीन वर्ष के लिए लंबित कोई निर्धारण/पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना			☐ हां (कृपया ड्रॉप-डाउन से अनुभाग 143(3), 148, 153क, 153क के साथ पठित . 153ग, 153खग, 245घ का चयन करें) ☐ नहीं	
(क29) कर निर्धारण वर्ष वाई3	(i) अंतिम विवरणी फाइल करने की तारीख अभिलिखित करें			*(दिन/माह/वर्ष)*	
	(ii) वह धारा जिसके अधीन मामला दायर किया गया है			☐139(1) ☐139(4) ☐139(5) ☐139(8क) तलाशी या अधिग्रहण आरंभ करने की तारीख से पहले दायर किया गया 153ग ☐142(1) के साथ पठित ☐148 ☐153क☐ 153क (ड्रॉप डाउन)	
	(iii) पावती या रसीद संख्या अभिलिखित करें।				
	(iv) तलाशी या अधिग्रहण की शुरुआत की तारीख तक विचाराधीन वर्ष के लिए लंबित कोई भी निर्धारण/पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना			☐ हां (कृपया ड्रॉप-डाउन से अनुभाग 153ग, 153खग, 245घ के साथ पठित 143(3), 148, 153क, 153क. का चयन करें) ☐ नहीं	

(क30) कर निर्धारण वर्ष वाई2	(i) अंतिम विवरणी फाइल करने की तारीख अभिलिखित करें	(*दिन/माह/वर्ष)*
	(ii) वह धारा जिसके अधीन मामला दायर किया गया है	☐139(1) ☐139(4) ☐139(5) ☐139(8क) तलाशी या अधिग्रहण आरंभ करने की तारीख से पहले दायर किया गया 153ग ☐142(1) के साथ पठित . ☐148 ☐153क☐ 153क (ड्रॉप डाउन)
	(iii) पावती या रसीद संख्या अभिलिखित करें।	
	(iv) तलाशी या अधिग्रहण की शुरुआत की तारीख तक विचाराधीन वर्ष के लिए लंबित कोई भी निर्धारण/पुर्निर्धारण या पुनर्गणना	☐ हां (कृपया ड्रॉप-डाउन से अनुभाग 153ग, 153खग, 245घ के साथ पठित 143(3), 148, 153क, 153क का चयन करें) ☐ नहीं
(क31) कर निर्धारण वर्ष वाई1	(i) क्या आपने आयकर विवरणी प्रस्तुत किया है?	☐ हां (कृपया फाइल करने की तारीख अभिलिखित करें (*तारीख/माह/वर्ष)* ☐ नहीं
	उपरोक्त (i) का उत्तर हां है, तो वह धारा जिसके अधीन मामला दायर किया गया है।	☐नियत तारीख ☐को या उससे पहले 139(4)- नियत तारीख के पश्चात् ☐139(5) ☐139(8क) तलाशी या अधिग्रहण आरंभ करने की तारीख से पहले दायर किया गया (ड्रॉप डाउन)
	(iii) फाइल किए गए आईटीआर प्ररूप का प्रकार अभिलिखित करें	
	(iv) पावती या रसीद संख्या अभिलिखित करें।	
	(v) विवरणी में घोषित कुल आय अभिलिखित करें	रु.
	(vi) धारा 143(1) के अधीन प्रोसेसिंग के पश्चात् कुल आय अभिलिखित करें	रु.
	(vii) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का कुल मूल्य *(जहां उपलब्ध हो, प्ररूप 3गङख के अनुसार, किसी अन्य मामले में, उसका अनंतिम मूल्य)*	रु.
	(viii) निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का कुल मूल्य *(जहां उपलब्ध हो, प्ररूप 3 गङख के अनुसार, किसी अन्य मामले में, उसका अनंतिम मूल्य)*	रु.
	(ix) का उत्तर नहीं है, तो क्या धारा 139(1) के अधीन आयकर विवरणी फाइल करने की नियत तारीख समाप्त हो गई है?	☐ हाँ ☐ नहीं
	(x) यदि उपरोक्त (ix) का उत्तर नहीं है, तो कृपया अपनी आय का विवरण फाइल करने के लिए आईटीआर प्ररूप चुनें (आई.टी.आर. 1-7 को ड्रॉप-डाउन से चुना जाना है तथा ई-फाइलिंग पटिलिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार फाइल किया जाना है - टिप्पण 2 देखें) टिप्पण: यह विवरण उस स्थिति में भरा जाना है, जब पिछला वर्ष समाप्त हो गया हो तथा ऐसे वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख समाप्त नहीं हुई हो।	
(क32) कर निर्धारण वर्ष वाई0 *(यदि वाई0 आंशिक वर्ष है)*	(i) अवधि से संबंधित आय (भाग बी में विवरण निर्दिष्ट करें) [धारा 158खख*(3) के मद्देनजर नीचे (ii) और (iii) से संबंधित से भिन्न]*	रु.
	(ii) आंशिक अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का कुल मूल्य	रु.
	(iii) आंशिक अवधि के दौरान निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का कुल मूल्य	रु.
(क33) कर निर्धारण वर्ष वाई0 *(यदि वाई0 एक पूर्ण वर्ष है)*	(i) क्या आपने आयकर विवरणी प्रस्तुत किया है?	☐ हां (कृपया फाइल करने की तारीख अभिलिखित करें (*तारीख/माह/वर्ष)* ☐ नहीं
	उपरोक्त (i) का उत्तर हां है, तो वह धारा जिसके अधीन मामला दायर किया गया है।	☐नियत तारीख ☐को या उससे पहले 139(4)- नियत तारीख के पश्चात् ☐139(5) ☐139(8क) तलाशी या अधिग्रहण आरंभ करने की तारीख से पहले दायर किया गया (ड्रॉप डाउन)
	(iii) फाइल किए गए आईटीआर प्ररूप का प्रकार अभिलिखित करें	
	(iv) पावती या रसीद संख्या अभिलिखित करें।	
	(v) विवरणी में घोषित कुल आय अभिलिखित करें	रु.
	(vi) धारा 143(1) के अधीन प्रसंस्करण के पश्चात् कुल आय अभिलिखित करें *(यदि लागू हो)*	रु.

	(vii) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का कुल मूल्य *(जहां उपलब्ध हो, प्ररूप 3गङख के अनुसार, किसी अन्य मामले में, उसका अनंतिम मूल्य)*	रु.
	(viii) निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का कुल मूल्य *(जहां उपलब्ध हो, प्ररूप 3गङख के अनुसार, किसी अन्य मामले में, उसका अनंतिम मूल्य)*	रु.
	(ix) का उत्तर नहीं है, तो क्या धारा 139(1) के अधीन आयकर विवरणी फाइल करने की नियत तारीख समाप्त हो गई है?	☐ हाँ ☐ नहीं
	(x) यदि उपरोक्त (ix) का उत्तर नहीं है, तो कृपया अपनी आय का विवरण फाइल करने के लिए आईटीआर प्ररूप चुनें (आई.टी.आर. 1-7 को ड्रॉप-डाउन से चुना जाना है तथा ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार फाइल किया जाना है - टिप्पण 3 देखें) टिप्पणी: यह विवरण उस स्थिति में भरा जाना है, जब पिछला वर्ष समाप्त हो गया हो तथा ऐसे वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख समाप्त नहीं हुई हो।	
(क34) कर निर्धारण वर्ष वाई+1 *(आंशिक वर्ष, यदि लागू हो)*	(i) अवधि से संबंधित आय (भाग ख में विवरण निर्दिष्ट करें) [धारा 158खख*(3) के मद्देनजर नीचे (ii) और (iii) से संबंधित से भिन्न]*	रु.
	(ii) आंशिक अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का कुल मूल्य	रु.
	(iii) आंशिक अवधि के दौरान निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का कुल मूल्य	रु.

भाग ख- कर निर्धारण वर्ष वाई0 *(भाग वर्ष) से संबंधित धारा 158खख(1क*)(ग)(ii) और 158खख(1क)(ग)(iii) के अनुसार आय का विवरण या वाई+1 *(आंशिक वर्ष, यदि लागू हो)*

वाई0 (भाग) या वाई+1(भाग) की आय	1			वेतन			1	
	2			गृह सम्पत्ति से आय *(हानि होने पर शून्य अभिलिखित करें)*			2	
	3			व्यवसाय या वृत्ति से लाभ और प्राप्ति				
		i		सट्टा व्यवसाय और निर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न अन्य व्यवसाय से लाभ और प्राप्ति *(यदि हानि हो तो शून्य अभिलिखित करें)*	3i			
		ii		सट्टा कारोबार से लाभ और अभिलाभ *(हानि होने पर शून्य अभिलिखित करें)*	3ii			
		iii		*निर्दिष्ट व्यवसाय से लाभ और प्राप्ति (हानि होने पर शून्य अभिलिखित करें)*	3iii			
		iv		*विशेष दरों पर कर योग्य आय*	3iv			
		v		कुल (3i + 3ii+3iii +3iv)			3फ	
	4			पूंजी अभिलाभ				
		क		लघु अवधि				
			i	अल्पावधि प्रभार्य @ 20%	कi			
			ii	अल्पावधि प्रभार्य @ 30%	कii			
			iii	लागू दर पर अल्पावधि प्रभार्य	कiii			
			iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पावधि प्रभार्य	कiv			
			v	कुल अल्पावधि (कi + कii + कiii + कiv) *(हानि होने पर शून्य अभिलिखित करें)*	4कv			
		ख		दीर्घकालिक				
			i	दीर्घावधि प्रभार्य @ 12.5%	खi			
			ii	दीर्घावधि प्रभार्य @ 20%	खii			
			iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य	खiii			
			iv	कुल दीर्घकालिक *(खi + खii + खiii) (यदि हानि हो तो शून्य अभिलिखित करें)*	4खiv			
		ग		अल्पावधि/दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ की राशि (4कv + 4खiv) *(हानि होने पर शून्य अभिलिखित करें)*			4ग	
		घ		पूंजी अभिलाभ धारा 158खखज के अधीन 30% की दर से देय			4घ	
		ङ		कुल पूंजी अभिलाभ (4ग + 4घ)			4ङ	
	5			अन्य स्रोतों से आय				
		क		अन्य स्रोतों से प्राप्त शुद्ध आय, सामान्य लागू दरों पर कर योग्य *(हानि होने पर शून्य अभिलिखित करें)*	5क			
		ख		विशेष दर पर कर योग्य आय	5ख			
		ग		रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से आय *(हानि होने पर शून्य अभिलिखित करें)*	5ग			
		घ		कुल (5क + 5ख + 5ग)			5घ	
	6			शीर्षवार आय का योग (1 + 2+3फ + 4ङ + 5घ)			6	

भाग ग - अघोषित आय की गणना *(जहां तलाशी/अधिग्रहण उसी वर्ष में पूरा हो जाता है जिसमें इसे प्रारंभ किया गया था, वहां भरा जाना है)*

क्रम सं.	ब्लॉक अवधि को सम्मिलित करने वाला कर निर्धारण वर्ष	ब्लॉक अवधि में सम्मिलित वर्ष के लिए घोषित अघोषित आय	अधिग्रहण की तारीख से पहले धारा 143(1) के अधीन निर्धारित या धारा 143/ 144/ 147/ 153क/ 153ग/ 158खग(1)(ग)/ 245घ के अधीन निर्धारित कुल आय		तलाशी या अधिग्रहण प्रारंभ करने की तारीख से पहले धारा 139(1) के अधीन फाइल आयकर विवरणी में या धारा 142(1) के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में घोषित कुल आय और [ख] में सम्मिलित नहीं है		धारा 115क की उपधारा (5) या धारा 115छ या धारा 194त की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय ब्लॉक अवधि में सम्मिलित वर्ष	पिछले वर्ष की आय जो समाप्त हो गई है और ऐसे वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तलाशी प्रारंभ करने की तारीख या अधिग्रहण की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुई है। *(तलाशी या अधिग्रहण की शुरुआत की तारीख से पहले सामान्य रूप से बनाए गए खाता बहियों और अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहार से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर)*	पिछले वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ होने वाली अवधि की आय जिसमें तलाशी प्रारंभ की गई या अधिग्रहण किया गया तथा तलाशी या अधिग्रहण प्रारंभ करने की तारीख से ठीक पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि की आय *(तलाशी या अधिग्रहण की शुरुआत की तारीख से ठीक पहले के दिन या उससे पहले सामान्य रूप से बनाए गए खाता बहियों और अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहार से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर)*	तलाशी या अधिग्रहण के आरंभ की तारीख से प्रारंभ होकर तलाशी या अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि की आय *(ऐसी आय या लेन-देन से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर, जैसा कि अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उससे पहले ऐसी अवधि के लिए सामान्य क्रम में बनाए गए लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किया गया है)*
		(रु.)	(रु.)		(रु.)		(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)
		{धारा158खख(ख) के साथ पठित धारा158खख(1)(क) देखें}	{धारा 158खख(1क)(क) देखें}		{धारा 158खख(1क)(ख) देखें}		{धारा 158खख(1क)(घ) देखें}	{धारा158खख(1क)(ग)(i) देखें}	{धारा 158खख(1क)(ग)(ii) देखें}	{धारा158खख(1क)(ग)(iii)देखें}
		[क]	[ख]		[ग]		[घ]	[ङ]	[च]	[छ]
			राशि (रु.)	धारा	राशि (रु.)	धारा				
1	**निर्धारण वर्ष** वाई6									
2	**कर निर्धारण वर्ष** वाई5									
3	**कर निर्धारण वर्ष** वाई4									
4	**निर्धारण वर्ष** वाई3									
5	**कर निर्धारण वर्ष** वाई2									
6	**कर निर्धारण वर्ष** वाई1									
7	**कर निर्धारण वर्ष** वाई0 *((यदि वाई0 आंशिक वर्ष है)*								*स्तंभ [च] और [छ] का योग (यह भाग-ख की पंक्ति 6 के मान के बराबर होना चाहिए)*	(रु.)
8	**घोषित ब्लॉक अवधि के लिए कर योग्य आय {धारा 158खख(5) देखें}** *(स्तंभ (क) में चित्र)*									(रु.)

या

भाग ग – टीआई अघोषित आय की गणना *(उस स्थिति में भरा जाना है जहां तलाशी या अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख उस वर्ष के पश्चात् वाले पिछले वर्ष में आती है जिसमें तलाशी या अधिग्रहण प्रारंभ किया गया था)*

क्रम सं.	ब्लॉक अवधि को सम्मिलित करने वाला कर निर्धारण वर्ष	ब्लॉक अवधि में सम्मिलित वर्ष के लिए घोषित अघोषित आय	या अधिग्रहण की तारीख से पहले धारा 143(1) के अधीन निर्धारित या धारा 143/ 144/ 147/ 153क/ 153ग/ 158खग(1)(ग)/ 245घ के अधीन निर्धारित कुल आय		तलाशी या अधिग्रहण प्रारंभ करने की तारीख से पहले धारा 139(1) के अधीन फाइल आयकर विवरणी में या धारा 142(1) के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में घोषित कुल आय और [ख] में सम्मिलित नहीं है		ब्लॉक अवधि में सम्मिलित किसी भी वर्ष के लिए धारा 115क की उपधारा (5) या धारा 115छ या धारा 194त की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय	पिछले वर्ष की आय जो समाप्त हो गई है और ऐसे वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तलाशी प्रारंभ करने की तारीख या अधिग्रहण की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुई है। *(तलाशी या अधिग्रहण की शुरुआत की तारीख से पहले सामान्य रूप से बनाए गए खाता बहियों और अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहार से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर)*	पिछले वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ होने वाली अवधि की आय जिसमें तलाशी प्रारंभ की गई या अधिग्रहण किया गया तथा तलाशी या अधिग्रहण प्रारंभ करने की तारीख से ठीक पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि की आय *(तलाशी या अधिग्रहण की शुरुआत की तारीख से ठीक पहले के दिन या उससे पहले सामान्य रूप से बनाए गए खाता बहियों और अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहार से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर)*	उस दिन से प्रारंभ होने वाली अवधि की आय, जिस दिन तलाशी प्रारंभ की गई या अधिग्रहण किया गया तथा उस पिछले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि की आय, जिसमें तलाशी प्रारंभ की गई या अधिग्रहण किया गया *(ऐसी आय या लेन-देन से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर, जैसा कि अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उससे पहले ऐसी अवधि के लिए सामान्य क्रम में बनाए गए लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किया गया है)*	पिछले वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली अवधि की आय जिसमें तलाशी या अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था और तलाशी या अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि की आय *(ऐसी आय या लेन-देन से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर, जैसा कि अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उससे पहले ऐसी अवधि के लिए सामान्य क्रम में बनाए गए लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किया गया है)*
		(रु.)	(रु.)		(रु.)		(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)
		{धारा 158खख(1)(क) धारा 158ख(ख) देखें}	{धारा 158खख(1क)(क) देखें}		{धारा 158खख(1क)(ख) देखें}		{धारा158खख(1क)(घ) देखें}	{धारा158खख(1क)(ग)(i) देखें}	{धारा158खख(1क(ग)(ii)देखें}	{धारा158खख(1क)(ग)(iii) देखें}	{धारा158खख(क)(ग)(iii) देखें}
		[क]	[ख]		[ग]		[घ]	[ङ]	[च]	[छ]	[ज]
			राशि (रु.)	धारा	राशि (रु.)	धारा					
1	निर्धारण वर्ष वाई6										
2	कर निर्धारण वर्ष वाई5										
3	कर निर्धारण वर्ष वाई4										
4	निर्धारण वर्ष वाई3										

5	**कर निर्धारण वर्ष** वाई2										
6	**कर निर्धारण वर्ष** वाई1										
7	**निर्धारण वर्ष** वाई0										
8	**कर निर्धारण वर्ष** वाई+1 *(यदि वाई+1 आंशिक वर्ष है)*										*(यह भाग-ख की पंक्ति 6 के मान के बराबर होना चाहिए)*
9	**घोषित ब्लॉक अवधि के लिए कर योग्य आय {धारा 158खख(5) देखें}** *(स्तंभ (क) में चित्र)*										(रु.)

भाग घ1 - भाग सी के स्तंभ [क] में घोषित ब्लॉक अवधि के लिए कुल अघोषित आय का शीर्षवार ब्यौरा (रुपये)											
क्र. सं.	**आय का शीर्ष**		**निर्धारण वर्ष**								
			वाई6	**वाई5**	**वाई4**	**वाई3**	**वाई2**	**वाई1**	**य0**	**वाई+1** *(यदि लागू हो)*	**कुल**
1	**वेतन**										1 i
2	**गृह संपत्ति से आय**										2 i
3	**कारबार या वृति से लाभ और अभिलाभ**										3 i
4	**पूंजी अभिलाभ**										4 i
	4 क	**लघु अवधि**									
	4ख	**दीर्घकालिक**									
5	**अन्य स्रोतों से आय**										5 i
6	**शीर्षवार अघोषित आय का योग** (1i+2i+3i+4i+5i)										

भाग घ2 - भाग घ में घोषित ब्लॉक अवधि के लिए कुल अघोषित आय का मद-वार विवरण												
क्र. सं.	आय का विवरण	घोषित अघोषित आय (रु.)										टिप्पणी, यदि कोई हो *(100 शब्दों तक)*
		निर्धारण वर्ष वाई6	कर निर्धारण वर्ष वाई5	कर निर्धारण वर्ष वाई4	निर्धारण वर्ष वाई3	कर निर्धारण वर्ष वाई2	कर निर्धारण वर्ष वाई1	कर निर्धारण वर्ष वाई0 *(आंशिक या पूर्ण, जैसा भी मामला हो)*	कर निर्धारण वर्ष वाई+1 *(यदि लागू हो)*	कुल		
1	धन									कi	(रु.)	
2	बुलियन									खi	(रु.)	
3	आभूषण									गi	(रु.)	
4	अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़									घi	(रु.)	
5	वर्चुअल डिजिटल एसेट									ङi	(रु.)	
6	व्यय									चi	(रु.)	
7	व्यय के संबंध में गलत दावा									छi	(रु.)	
8	छूट के कारण गलत दावा									जi	(रु.)	
9	कटौती के कारण गलत दावा									झi	(रु.)	
10	भत्ते के संबंध में गलत दावा									ञi	(रु.)	
11	अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार *(आंशिक कर निर्धारण वर्ष के संबंध में टिप्पण 4 देखें)*							*(केवल तभी भरा जाना चाहिए जब वाई0 एक पूर्ण वर्ष हो)*		टi	(रु.)	
12	निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार *(आंशिक कर निर्धारण वर्ष के संबंध में टिप्पण 4 देखें)*							*(केवल तभी भरा जाना चाहिए जब वाई0 एक पूर्ण वर्ष हो)*		ठi	(रु.)	
13	खाता बहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहार में किसी भी प्रविष्टि के आधार पर आय									डi	(रु.)	
14	कोई और									ढi	(रु.)	
15	कुल मदवार अघोषित आय (कi+खi+गi+घi+ङi+चi+छi+जi+झi +ञi +टi+ठi+डi+ढi) *{यह भाग घi की पंक्ति 6 के बराबर होना चाहिए}*	(रु.)										

भाग ङ – देय कर			
1.	ब्लॉक अवधि की अघोषित आय पर देय कर (भाग ग-टीआई के क्रम संख्या 8 या 9 का 60%, जैसा लागू हो)	1 क	राशि (रु.)
2.	उपरोक्त (1) पर अधिभार (यदि लागू हो)	1ख	
3.	उपरोक्त (1+2) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग	
4.	कुल देय कर (1+2+3)	1घ	
5.	158खचक(1) के अधीन देय ब्याज	1ङ	
6.	ब्लॉक अवधि की अघोषित आय पर देय सकल कर	2	
7.	कर का संदाय	3	
8.	शेष देय/वापसी योग्य	4	

भाग च – ब्लॉक अवधि की अघोषित आय पर संदाय किए गए करों का विवरण					
क	ब्लॉक अवधि की अघोषित आय पर कर संदाय का विवरण				
ब्लॉक अवधि के लिए स्व-निर्धारण कर	क्रम सं.	बीएसआर कोड	जमा की तारीख *(दिन/माह/वर्ष)*	चालान की सीरियल संख्या	राशि (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	टिप्पण ►	*स्व-निर्धारण कर का योग अभिलिखित करें*			

भाग छ – कर संदाय जो भाग च में सम्मिलित नहीं हैं और जिनके लिए अघोषित आय के विरुद्ध ऋण मांगा गया है (टिप्पण: ऐसे क्रेडिट का दावा और उसकी स्वीकार्यता निर्धारण अधिकारी के सत्यापन और संतुष्टि के अधीन है)						
कर संदाय का विवरण (अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर) जिसके लिए पहले फाइल विवरणी में कोई क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है						
अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर	क्रम सं.	बीएसआर कोड	जमा की तारीख *(दिन/माह/वर्ष)*	चालान की सीरियल संख्या	राशि (रु.)	निर्धारण वर्ष
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
	टिप्पण ►	*अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर) का योग अभिलिखित करें*				

भाग झ – ऐसे कर संदाय जो भाग कफ में सम्मिलित नहीं हैं और जिनके लिए अघोषित आय के विरुद्ध ऋण मांगा गया है जिसका पहले दावा नहीं किया गया है (टिप्पण: ऐसे क्रेडिट का दावा और उसकी स्वीकार्यता निर्धारण अधिकारी के सत्यापन और संतुष्टि के अधीन है)					
कर संदाय (टीडीएस/टीसीएस) का विवरण जिसके लिए धारा 139 के अधीन पहले फाइल विवरणी में कोई क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है या जहां कोई विवरणी फाइल नहीं किया गया है					
क्रम सं.	ब्लॉक अवधि का हिस्सा बनने वाला कर निर्धारण वर्ष जहां क्रेडिट उपलब्ध है	कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता का टैंन/पैंन	कुल उपलब्ध टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट (रु.)	धारा 139 के अधीन फाइल सभी विवरणी में दावा किए गए टीडीएस/टीसीएस का क्रेडिट (रु.)	वर्तमान विवरणी में दावा की गई टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट की राशि (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैं					
टिप्पण ►	*टीडीएस/टीसीएस का योग अभिलिखित करें*				

सत्यापन

स्टाम्प रसीद संख्या, मुहर, तारीख और प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	मैं, पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे यह भी घोषणा करता /करती हूं कि मैं यह विवरणी __________ (*ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाने वाला ड्रॉप डाउन*) के रूप में अपनी क्षमता में भर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी भरने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्या____________है। **तारीख** : **हस्ताक्षर :**

यदि विवरणी टैक्स विवरणी प्रेपर (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है तो नीचे विस्तृत विवरण दें:		
टीआरपी की पहचान संख्या	**टीआरपी का नाम**	**टीआरपी का काउंटर हस्ताक्षर**
यदि टीआरपी सरकार से किसी भी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है, तो उसकी राशि		

टिप्पण:

***टिप्पण*: 1**

कर निर्धारण वर्ष वाई6 से वाई1 :

उस पूर्व वर्ष से सुसंगत कर निर्धारण वर्ष से पूर्व के छह कर निर्धारण वर्ष, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी प्रारंभ की गई थी या धारा 132क के अधीन कोई अधिग्रहण किया गया था।

कर निर्धारण वर्ष वाई0 :

- ❖ **जहां तलाशी/अधिग्रहण उसी वर्ष में संपन्न हो जाता है जिसमें इसे आरंभ किया गया था:** वाई0, पिछले वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष में वह अवधि है जो तलाशी/अधिग्रहण आरंभ किए गए वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर तलाशी या अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिक ार के निष्पादन की तारीख तक होगी।
- ❖ **जहां तलाशी या अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख उस वर्ष के पश्चातवर्ती किसी पिछले वर्ष में आती है जिसमें तलाशी या अधिग्रहण आरंभ किया गया था:** वाई0 पिछले वर्ष से संबंधित पूर्ण कर निर्धारण वर्ष है, जो उस वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ होकर उस वर्ष की 31 मार्च तक होता है जिसमें तलाशी/अधिग्रहण प्रारंभ किया गया है।

कर निर्धारण वर्ष वाई+1 (यदि तलाशी या अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख , उस वर्ष के पश्चातवर्ती पिछले वर्ष में आती है जिसमें तलाशी या अधिग्रहण प्रारंभ किया गया था, तो भरा जाना है): वाई+1, पिछले वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष में वह अवधि है जो उस वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ होगी जिसमें तलाशी/अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था तथा तलाशी/अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकार की तारीख के साथ समाप्त होगी।

टिप्पण: 2

धारा 158खख(1क)(ग)(झ) देखें: कर निर्धारण वर्ष वाई1 के विवरण फाइल करने के प्रयोजनों के लिए, जहां सुसंगत पिछला वर्ष समाप्त हो गया है और ऐसे वर्ष के लिए धारा 139(1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख समाप्त नहीं हुई है, जहां खातों का ऑडिट नहीं किया जाता है (यदि उनका ऑडिट किया जाना आवश्यक है), सामान्य क्रम में बनाए गए खाता बही के आधार पर अनंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। इसे सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139(1) के अधीन विवरणी के रूप में नहीं माना जाएगा। इससे भिन्न, इस आय को सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के अधीन प्रस्तुत आय के विवरणी में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

टिप्पण: 3

धारा 158खख(1क)(ग)(झ) देखें: कर निर्धारण वर्ष वाई0 (जहां वाई0 एक पूर्ण वर्ष है) के विवरण फाइल करने के प्रयोजनों के लिए, जहां सुसंगत पिछला वर्ष समाप्त हो गया है और ऐसे वर्ष के लिए धारा 139(1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख समाप्त नहीं हुई है, सामान्य क्रम में बनाए गए खाता बही के आधार पर अनंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। इसे संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139(1) के अधीन विवरणी के रूप में नहीं माना जाएगा। इससे भिन्न, इस आय को संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के अधीन प्रस्तुत आय के विवरणी में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

टिप्पण: 4

धारा 158खख(3) देखें: इस धारा के उपबंधों के अनुसार, ब्लॉक अवधि में सम्मिलित पिछले वर्ष से संबंधित किसी भी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में किसी भी अघोषित आय को ब्लॉक निर्धारण के लिए लागू

उपबंधों से भिन्न अन्य उपबंधों के अधीन निर्धारण किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, इस खाते पर किसी भी अघोषित आय को ब्लॉक विवरणी के भाग के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. 370142/29/2024-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना साकानि 217(अ), तारीख 03 मार्च, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।